निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत(अल्मोड़ा)

☎ 05966–220260 📠 05966–221074

ई–निविदा सूचना

महामहिम श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत (अल्मोड़ा) द्वारा उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों हेतु वर्ष 2021–22 के लिये पौंध रक्षा संयत्रों (Pole Pruner, Pole Fruit Picker, Garden Tool Kit एवं Earth Augar) की आपूर्ति हेतु मूल उत्पादक कम्पनियों या उनके द्वारा अधिकृत विक्रेताओं से ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि दिनांक 03.06.2021 को सायः 5:00 बजे तक है, अपलोड निविदा के तकनीकी प्रपत्र दिनांक 04.06.2021 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तथा वित्तीय निविदायें अलग तिथि को निर्धारित वैबसाइट पर खोली जायेगी। जिसकी सूचना वैबसाइट के माध्यम से दी जायेगी। ई–निविदा आपूर्ति हेतु निर्धारित शर्तें एवं अन्य विस्तृत विवरण Website www.uktenders.gov.in पर उपलब्ध है।

निदेशक
उद्यान,उत्तराखण्ड

(हस्ताक्षर) 13/5/2021

टैण्डर फार्म–

रू0 590.00 मात्र

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत(अल्मोड़ा)

☎ 05966–220260 📠 05966–221074

पौंध रक्षा संयत्रों हेतु निविदा प्रपत्र टैक्निकल विड (भाग–1)

क्र0 सं0	विवरण	अभ्युक्ति संलग्न है या नही
1	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम व पता–	
3	अर्नेष्टमनी का विवरण– बैक ड्राफ्ट सं0–..........................तिथि–...........................धनराशि..........................	
4	टैण्डर फार्म शुल्क धनराशि का विवरण– बैंक ड्राफ्ट सं0.................. जमा की गई धनराशि `..............दिनांक..................	
5	आपूर्तिकर्ता फर्म का **Chartered Accountant** द्वारा निर्गत विगत वर्ष (2019–20) का टर्न ओवर `2.00 करोड़ होने का प्रमाण पत्र।	
6	आपूर्तिकर्ता फर्म का आयकर पैन का प्रमाण पत्र।	
7	आपूर्तिकर्ता फर्म का जी0एस0टी0 पंजीयन संख्या 'का प्रमाण पत्र।	
8	पौंध रक्षा संयत्रों हेतु बी0आई0एस0 / आई0एस0आई0 / ई0एन0 रजिस्ट्रेशन का कोई एक प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।	
9	निविदा में दिये गये प्रारूप–1 के अनुसार पौंध रक्षा संयत्रों के स्पेसीफिकेशन होने का रू0 100.00 के नॉन–ज्यूडिशिलय स्टाम्प पेपर शपथ पत्र।	
10	आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा रिपेयरिंग वर्क्स शॉप उत्तराखण्ड में होने का प्रमाण पत्र जो मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा जारी किया गया हो।	
11	अधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र।	
12	प्रत्येक मूल उत्पादक फर्म को फर्म के विरूद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति विषयक कोई विवाद / विधिक कार्यवाही / अपराधिक कार्यवाही एवं फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है, हॉ या नही, होने की दशा में रू0 100 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ पत्र।	

नोट:– **उपरोक्त सभी कॉलम पूर्ण रूप से भरे जाने होगे तथा प्रमाण पत्र दिया जाना होगा कि उपरोक्त सभी कॉलम पूर्ण रूप से भर दिये गये है। निविदा में संलग्न प्रपत्र पढनीय होने चाहिए अन्यथा की स्थिति में टैक्निकल विड निरस्त की जा सकती है।**

मेरे द्वारा टेण्डर की शर्ते भली भॉति पढ़ / समझ ली गई है तथा में सभी शर्तो से पूर्णतया सहमत हूँ।

फर्म / फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि / निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम / पूरा पता..

....

....

फोन न0–..............................**फैक्स न0**........................

टैण्डर फार्म–

रू0 590.00 मात्र

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत(अल्मोड़ा)

☎ 05966–220260 📠 05966–221074

पौध रक्षा संयत्रों हेतु निविदा प्रपत्र वित्तीय विड
(भाग–2)

क0सं0	पौध रक्षा स्प्रेयर्स का नाम	दर प्रति नग (रूपये में)	जी0एस0टी0	दर प्रति नग (जी0एस0टी सहित रूपये में)
1	Earth Augar			
2	Pole Pruner			
3	Pole Fruit Picker			
4	Garden Tool Kit 1 Secateurs, 1 Trowel, 1 Hand grubber, 1 Joint scraper			

नोटः– उपरोक्त सभी कॉलम पूर्ण रूप से भरे जाने होगे ।

मेरे द्वारा टेण्डर की शर्ते भली भाँति पढ़/समझ ली गई है तथा में सभी शर्तो से पूर्णतया सहमत हूँ।

फर्म/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि/निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम/पूरा पता...
....
....
फोन न0–..............................फैक्स न0.....................

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत(अल्मोड़ा)

☎ 05966–220260 📠 05966–221074

ई–निविदा सूचना

महामहिम श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत (अल्मोड़ा) द्वारा उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों हेतु वर्ष 2021–22 के लिये पौंध रक्षा संयत्रों की आपूर्ति हेतु मूल उत्पादक कम्पनियों या उनके द्वारा अधिकृत विक्रेताओं से ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा केवल निर्धारित प्रारूप पर ही स्वीकार की जायेगी। ई–निविदा प्रपत्र उत्तराखण्ड सरकार की Website www.uktenders gov.in के द्वारा ही प्राप्त कर ऑनलाइन इसी वेबसाइट पर निविदा प्रस्तुत (Submit) की जायेगी। ई–निविदा में सम्मिलित होने के लिए फर्म के पास डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डी0एस0सी0) होना अनिवार्य है। जो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बनाया जा सकता है, निविदादाता को निम्न प्रपत्र मूल रूप में दिनांक 03.06.2021 तक सायः 5:00 बजे तक निदेशालय उद्यान, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन चौबटिया में व्यक्तिगत अथवा पंजीकृत डाक द्वारा जमा कराया जाना आवश्यक है, अन्यथा निविदादाता द्वारा डाली गई ई–निविदा खोले जाने योग्य नही मानी जायेगी।

(क) निविदा के साथ ₹75000.00 (₹ पिचहत्तर हजार) मात्र की धरोहर धनराशि निदेशक उद्यान, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन चौबटिया (रानीखेत) के नाम बन्धक हो, जो कि डिमान्ड ड्राफ्ट/एफडीआर के रूप में जमा की जाएगी।

(ख) वैबसाइट से डाउनलोड किये गये ई–निविदा प्रपत्र की निविदा शुल्कः ₹590.00 का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट जो रानीखेत (अल्मोड़ा) की शाखा में देय हो, और निदेशक उद्यान, एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखण्ड, उद्यान भवन चौबटिया के नाम तैयार किया गया हो संलग्न करना होगा। रानीखेत (अल्मोड़ा) से बाहर की शाखाओं में देय बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नही किये जायेगे।

(ग) प्रत्येक मूल उत्पादक फर्म एवं उनकी अधिकृत विक्रेता फर्म के विरूद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति विषयक कोई विवाद/विधिक कार्यवाही/अपराधिक कार्यवाही एवं फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है या नही, होने की दशा दर्शाते हुए ₹100 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर युक्त शपथ पत्र को मूल रूप में जमा करना आवश्यक है।

(घ) ई–निविदा में प्रतिभाग करने पर दूरसंचार एवं निविदा की साईट में तकनीकी खराबी आदि से फर्म को होने वाली कठिनाई हेतु विभाग जिम्मेदार नही होगा। ई–निविदा दिनांक 04.06.2021 को अपरान्ह 11:00 बजे गठित विभागीय समिति द्वारा खोली जायेगी। समिति की जॉच/संस्तुति उपरान्त तकनीकी रूप में सफल निविदाओं की वित्तीय निविदा अलग से तिथि निर्धारित कर बाद में खोली जायेगी। जिसकी सूचना निविदादाताओ को वैबसाइट पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

Specification of Tools

1- Earth Augar

Engine.	Single Cylinder, 2 / 4 Stroke, Air cooled
Displacement	Should be between 35 to 52 CC
Power Output	Should be more than 1.5 HP
Fuel Tank Capacity	Minimum 650 ml.
Dry weight (without drilling Tools)	Should not be more than 12 Kg.
Control System	Require start, stop & acceleration at one position.
Torque at Drilling spindle	Should be minimum 80 NM Torque at spindle
AUGER BRAKE LEVER / SAFETY DEVICE.	Must have safety BRAKE LEVERdevice.
AUGER LENGTH	Should be minimum 600 mm
Drill diameter sizes(mm)	Must have drill sizes from 100 to 300 mm diameter.
SHAFT EXTENSION	Should have shaft extension option - minimum 400 mm long
Manufacturing Standard	Must have certification of BIS/ISI/EN

2- Pole Pruner

Material :	Aluminum/Steel
Length :	400 cm min. Telescopic
Weight :	2.0 Kg Max.

3- Pole Fruit Picker

Material :	Aluminum/Steel
Length :	400 cm min. Telescopic
Weight :	1.5 Kg Max.

4- Garden Tool Kit

1 Secateurs
1 Trowel
1 Hand grubber
1 Joint scraper

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत(अल्मोड़ा)

☎ 05966–220260 🖷 05966–221074

पौध रक्षा संयत्रों हेतु ई–निविदा की शर्ते

महामहिम श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत (अल्मोड़ा) द्वारा उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों हेतु वर्ष 2021–22 के लिये पौध रक्षा संयत्रों की आपूर्ति हेतु मूल उत्पादक कम्पनियों या उनके द्वारा अधिकृत विक्रेताओं से ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा केवल निर्धारित प्रारूप पर ही स्वीकार की जायेगी। ई–निविदा प्रपत्र उत्तराखण्ड सरकार की Website www.uktenders.gov.in से प्राप्त कर ऑनलाइन इसी वेबसाइट पर निविदा प्रस्तुत (Submit) की जाएगी। ई–निविदा एवं आपूर्ति की शर्ते निम्नानुसार हैं:–

अ) ई–निविदा की शर्ते–

(1)– ई–निविदा में सम्मिलित होने के लिए फर्म के पास डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र **(डी0एस0सी0)** होना अनिवार्य है जो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बनाया जा सकता है।

(2)– आवेदनकर्ता फर्मों/कम्पनियों द्वारा ऑनलाइन Submit की गयी ई–निविदा की प्रति निविदा से संबन्धित मॉगे गये समस्त वांछित अभिलेखों की मूल प्रति सहित व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत, अल्मोड़ा में निर्धारित समयान्तर्गत प्रस्तुत करनी होगी। डाक द्वारा भेजे गये प्रपत्रों के समय पर इस कार्यालय में प्राप्त न होने की दशा में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं इस संबंध में विभाग का कोई दायित्व नही होगा।

(3)– विज्ञप्ति में प्रकाशित टेन्डर प्रपत्र का मूल्य ₹590.00 निर्धारित किया गया है। निविदाये दो भागों में स्वीकार की जायेगी जिसमें प्रथम प्रपत्र भाग–1 में तकनीकी तथा दूसरें प्रपत्र भाग–2 में वित्तीय विड होगी। दोनो निविदा प्रपत्रों को निर्धारित वेवसाइट पर निविदादाता द्वारा अपलोड किया जायेगा।

(4)– निविदा प्रपत्र को www.uktenders.gov.in से नियमानुसार डाउनलोड की जायेगी। वैबसाइट से डाउनलोड किये गये ई–निविदा प्रपत्र शुल्क ₹590.00 का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट जो रानीखेत (अल्मोड़ा) की शाखा में देय हो, और निदेशक उद्यान, एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखण्ड, उद्यान भवन चौबटिया के नाम तैयार किया गया हो संलग्न करना होगा। रानीखेत (अल्मोड़ा) से बाहर की शाखाओं में देय बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नही किये जायेगे, को दिनांक 03.06.2021 अपरान्ह 5:00 बजे तक मूल रूप में व्यक्तिगत/डाक द्वारा निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(5)– निविदा के साथ ₹ 75000.00 अर्नेष्टमनी धनराशि का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट अथवा **एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0** जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (उत्तराखण्ड) उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत के नाम बंधक हो की प्रति वेवसाइट पर अपलोड करने के साथ इसकी मूल प्रति को दिनांक 03.06.2021 **सांय 5:00** बजे तक व्यक्तिगत/डाक द्वारा निदेशालय उद्यान, उद्यान भवन चौबटिया में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी। अर्नेष्टमनी पर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नही होगा। बैक ड्राफ्ट अथवा एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 रानीखेत (अल्मोड़ा) की शाखा में देय होना चाहिए रानीखेत (अल्मोड़ा) से बाहर की शाखाओं में देय होने पर अर्नेष्टमनी की धनराशि स्वीकार नही की जायेगी। बिना अर्नेष्टमनी (धरोहर राशि) के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। उन निविदादाता फर्मों, जिनकी दरें स्वीकृत नहीं होंगी, यॅह राशि शीघ्र ही वापस कर दी जायेगी। सफल टैण्डरदाताओं की अर्नेष्टमनी (धरोहर राशि) जमानत के रूप में समायोजित कर ली जायेगी।

क्रमशः–2

(6)– निविदा मूल उत्पादक कम्पनियों/उनके द्वारा अधिकृत विक्रेताओं से आमंन्त्रित की जाती है।

(7)– निविदा में भाग लेने वाली मूल उत्पादक कम्पनियों का टर्न ओवर वर्ष (2019–20) का ₹2 करोड़ होना आवश्यक है। इस हेतु सी0ए0 द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(8)– तकनीकी निविदा प्रपत्र भाग–1 के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां पठनीय होनी नितान्त आवश्यक है, साथ ही फर्म के सभी डाक्योमेन्ट्स को फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा सील सहित प्रति हस्ताक्षरित (Counter Signature) कर प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

(9)– निविदा प्रस्तुत करने वाली गैर सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम फर्म को भी निविदा की सभी शर्तो का शत प्रतिशत पालन करना अनिवार्य होगा ऐसा न करने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

(10)– निविदा खोले जाने की तिथि पर क्रय समिति के द्वारा निविदा का तकनीकी भाग–1 खोला जायेगा। तकनीकी रूप में सफल निविदाओं की वित्तीय विड खोलने की सूचना वेबसाइट के माध्यम से निविदादाताओं को उपलब्ध करा दी जायेगी।

(11)– निविदा प्रपत्र के साथ केवल वांछित प्रपत्र ही प्रस्तुत किये जायें, निविदा के साथ पौध रक्षा संयत्रों का साहित्य संलग्न न किया जाय। पौंध रक्षा साहित्य को कार्यालय के संबंधित पटल सहायक/अधिकारी को अलग से उपलब्ध कराया जाय।

(12)– आपूर्ति किये जाने वाले पौध रक्षा संयत्रों की दरें सभी कर सहित उत्तराखण्ड के समस्त जनपद मुख्यालय तथा राजकीय उद्यानों में एफ0ओ0आर0 (डेस्टीनेशन) तक पहुँचाते हुए अंकित की जाय।

(13)– सामग्री के मूल्य जो निविदा में दिये जायें, वह कर, पैकिंग व डिलीवरी चार्जेज को सम्मिलित करते हुए शुद्व दरें (Net rate) होने चाहिए।

(14)– प्रदेश की सुक्ष्म एवं लघु (कुटीर एवं खादी सहित) विनिमार्णक उद्यमों जो उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड से पंजीकृत हो को शासकीय क्रय मूल्य/क्रय वरीयता नियमानुसार दी जायेगी।

(15)– टैक्नीकल बिड में सफल होने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड को खोला जायेगा। वित्तीय बिड में प्राप्त दरों को विभागीय गठित समिति द्वारा संयुक्त विचार विमर्श के उपरांत ही दर अनुमोदित की जा सकेगी।

(16)– जिस फर्म की दरें अनुमोदित की जायेगी, उन्हें एक सप्ताह के भीतर अनुबन्ध हेतु ₹100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर फोटो सहित सामग्री के आपूर्ति हेतु सहमति पत्र भर कर निदेशक उद्यान, उद्यान भवन चौबटिया के कार्यालय में जमा करना होगा।

(17)– निविदादाता द्वारा अपने निविदा के साथ जो भी प्रमाण पत्र आदि संलग्न किये जायेगें वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में ही संलग्न करना होगा, अन्य भाषाओं में संलग्न प्रमाण पत्र मान्य नही होगें।

(18)– अपरिहार्य परिस्थितियों में निर्धारित समय पर तकनीकी निविदा नहीं खोले जाने की स्थिति में तकनीकी बिड खोलने की तिथि अगला कार्य दिवस माना जायेगा।

(19)– पौंध रक्षा स्प्रेयरर्स के लिये तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अलग–अलग अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(20)–पौंध रक्षा संयत्रों हेतु बी0आई0एस0/आई0एस0आई0/ई0एन0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति।

(21)– प्रत्येक मूल उत्पादक फर्म एवं उनकी अधिकृत विक्रेता फर्म के विरूद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति विषयक कोई विवाद/विधिक कार्यवाही/अपराधिक कार्यवाही एवं फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है या नही, होने की दशा दर्शाते हुए ₹100 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर युक्त शपथ पत्र को मूल रूप में दिनांक 03.062021 के सांय 5:00 बजे तक व्यक्तिगत/डाक द्वारा निदेशालय उद्यान, उद्यान भवन चौबटियाँ में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

क्रमशः–3

(22)– निविदा के साथ आपूर्ति किये जाने वाले पौध रक्षा संयत्रों के स्पेसीपिकेशन देने होगे जो आई0एस0आई0/बी0एस0आई0 एवं ई0एन0 के अनुसार होने चाहिए। फर्म मसिनरी ट्रेनिंग एण्ड टेस्टिंग इन्स्टीट्यूट (कृषि मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा प्रमाणित स्पेयरर्स को वरीयता दी जायेगी।

(23)– आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा रिपेयरिंग वर्क्स शॉप उत्तराखण्ड में होने का प्रमाण पत्र जिसमें पता, फोन नं0 देना होगा।

(24)– पौध रक्षा संयत्रों Pole Pruner, Pole Fruit Picker, Garden Tool Kit की 10 वर्ष एवं Earth Augar की वारन्टी 5 वर्ष की होनी अनिवार्य है। वांरटी अवधि तक आपूर्तिकर्ता फर्म को निःशुल्क रिपेयरिंग करानी होगी।

(25)– निविदा में स्वीकृत फर्म की दरों को बिना कारण बताये किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। इस संबंध में फर्म को निविदा की दरें निरस्त करने का कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(26)– पौंध रक्षा संयत्रों की आपूर्ति में कोई भी मैन्युफेक्चरिंग डिफैक्ट होने की दशा में आपूर्तिकर्ता फर्म को नयी मशीन उपलब्ध करानी होगी।

(27) आपूर्तिकर्ता फर्म को निविदा के साथ पौध रक्षा संयत्रों के एक–एक सैम्पल लाना होगा जो तकनीकी अनुभाग में ज्येष्ठ पौध रक्षा सहायक के पास अनुरक्षित रखें जायेगें। जिस फर्म की दरें स्वीकृत होगी उनके सैम्पल निविदा की दरे समाप्ति तक अनुरक्षित रखें जायेगें जिन फर्म की दरें स्वीकृत नही होगी उनके सैम्पल वापस कर दिये जायेंगे।

ब) आपूर्ति की शर्तें

(1)– अनुमानित व्यय ₹25 लाख के सापेक्ष 10 प्रतिशत जमानत राशि निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन चौबटिया में दर अनुमोदन के 10 दिन के भीतर आवश्यक रूप से जमा करनी होगी, अन्यथा दरें निरस्त कर दी जायेगी, और अर्नेष्टमनी जब्त कर ली जायेगी।

(2)– आपूर्ति किये गये संयत्रों निविदा में दिये गये स्पेसीफिकेशन (मानक) के अनुरूप पाये जाने पर ही केताधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा ।

(3)– विभाग तथा आपूर्तिकर्ता फर्म के बीच किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में न्यायालय क्षेत्र रानीखेत (अल्मोडा) होगा।

(4)– सामग्री की आपूर्ति बिल के आधार पर करनी होगी।

(5)– फर्म द्वारा पूर्ण आपूर्ति न किये जाने/निर्धारित गुणवत्ता/निर्धारित समय/निर्धारित मानकों के अनुरूप आपूर्ति न करने पर फर्म को ब्लैक लिस्ट, अर्नेष्टमनी, जमानत की धनराशि को जब्त कर तथा अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(6)– उक्त आपूर्ति हेतु समस्त पक्षों के संबंध में शासन एवं उद्यान विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(7)– निविदा को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक का होगा।

स्वीकृत की गयी दरें 31.03.2022 तक के लिये मान्य होंगी।

निदेशक
उद्यान, उत्तराखण्ड